**संख्या- 55/992/बयालिस-2015-44(बजट)/2013**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 09 जुलाई, 2015**

**विषय :- खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान संख्या- 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 29/बजट पत्रा0/2014-15, दिनांक 09.04.2015 के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 तालिका में क्रमांक- 1 पर उल्लिखित योजना इलाहाबाद में स्थापित म्योहाल के आधुनिकीकरण के कार्य हेतु रू0 132.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 127.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित वाट आउट आइटम्स का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3)- लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(4)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

**.....2**

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- उक्त शासनादेश संख्या- 656/बयालिस-2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 इस सीमा तक संशोधित समक्षा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त स्वीकृति अनुदान संख्या- 22 के अधीन लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनागत-104-खेलकूद-25-खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्राविधानित धनराशि " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

**संख्या- 55/992(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखकार( लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, इलहाबाद।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, इलाहाबाद।
6- प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in